UPKU100002762022

<u>न्यायालय – न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया – कुशीनगर।</u>

<u>उपस्थित– नवनीत कश्यप (उ०प्र० न्यायिक सेवा, UP03217)</u>

<u>बच्चा राय बनाम अमरुद्दीन आदि</u>

<u>प्रकीर्ण दाण्डिक वाद सं०- **57/2022**</u>

<u>08–03–2022</u>

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार पर प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश नियत है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा – 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता पर विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मे प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि **शाखा प्रबंधक यू०पी० बड़ौदा बैंक शाखा फाजिलनगर** के सह व निर्देशन मे अन्य अभियुक्तगण अपने अज्ञात मेली मददगारों के साथ छल–कपट करते हुये प्रार्थी का ट्रैक्टर ले जाकर प्रार्थी को क्षति कारित किये है। प्रार्थी द्वारा **शाखा प्रबंधक यू०पी० बड़ौदा बैंक शाखा फाजिलनगर** के विरुद्ध आरोप लगाया है जो कि एक **लोक सेवक** है।

माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र (Circular Letter) संख्या – 33/Allahabad दिनांकित 21–10–2011 के अनुसार लोक सेवक के विरुद्ध धारा – 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के विचारण/सुनवाई व निस्तारण का क्षेत्राधिकार विशेष रुप से माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय को प्राप्त है।

चुँकि मामले मे **अभियुक्त एक लोक सेवक** है, अतः उपरोक्त परिपत्र के अनुसार मामले के विचारण/सुनवाई व निस्तारण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है।

<u>आदेश</u>

प्रकीर्ण दाण्डिक वाद संख्या 57/2022 के मामले मे विचारण/सुनवाई व निस्तारण के क्षेत्राधिकार के अभाव के संदर्भ मे माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, कुशीनगर स्थान पड़रौना को उचित कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित हो। प्रेषित पत्र के साथ इस आदेश की प्रति संलग्न हो। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23–05–2022 को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
कसया – कुशीनगर।

Digitally signed by
NAVANIT KASYAP
Date: 2022.03.08
10:36:12 IST
Reason: Judicial
Order
Location: Outlying
Court, Kasia -
Kushinagar